

## छत्रपति शाहजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

### कार्यवृत्त

दिनांक: 06.09.2014 को पूर्वाह 11:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेंटर फॉर एकेडमिक्स भवन में हुई कार्यपरिषद की आपात बैठक की कार्यवाही:-

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1.	प्रो० जै०वी० वैशम्पायन, कुलपति, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	अध्यक्ष
2.	प्रो० कमल कान्त द्विवेदी, कुलपति, एफीजय सत्य विश्वविद्यालय, सोहना, गुडगांव,-122103	सदस्य
3.	डॉ नवनीत कुमार, अधिष्ठाता, मेडिसिन संकाय, जी.एस.वी.एम. मेडिकल कालेज, कानपुर	सदस्य
4.	प्रो० आर०सी० कटियार, आचार्य, आई०बी०एम०	सदस्य
5.	प्रो० पी०क० कुश, आचार्य, अंग्रेजी विभाग	सदस्य
6.	डा० सुधान्शु पाण्डिया, उपाचार्य, आई०बी०एम०	सदस्य
7.	डॉ० सन्दीप कुमार सिंह, उपाचार्य, प्रौढ़ सतत शिक्षा एवं प्रसार विभाग	सदस्य
8.	डॉ० रेखा शर्मा, प्राचार्य, डी०ए०वी० कॉलेज, कानपुर	सदस्य
9.	डॉ० बी०आर० अग्रवाल, प्राचार्य, जुहारी देवी गल्टी पी.जी. कालेज, कानपुर	सदस्य
10.	श्री धर्मन्द्र वर्मा, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
11.	श्री सत्यद वकार हुसैन, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सचिव

सर्वप्रथम कार्यपरिषद के सदस्यों का अध्यक्ष प्रो० जै०वी० वैशम्पायन, कुलपति ने स्वागत किया तथा परिषद ने पूर्व सदस्य डॉ० जी०एल० श्रीवास्तव, प्राचार्य, अर्मापुर पी.जी. कालेज, कानपुर के बहुमूल्य सुझावों एवं विश्वविद्यालय के प्रति उनके अमूल्य योगदान के प्रति अभार व्यक्त करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

मद सं०-१: दिनांक 05.08.2014 से 21.08.2014 के पूर्वान्ह तक आन्दोलनरत रहे विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान किये जाने पर विचार।

उक्त के सम्बन्ध में कानपुर विश्वविद्यालय कर्मचारी एसोसिएशन एवं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं महामंत्री के द्वारा दिये गये संयुक्त पत्र दिनांक 03.09.2014 पर विचार किया गया, जिसमें दोनों संघों ने वेतन भुगतान का अनुरोध किया है तथा यह वचनबद्धता दी है कि यदि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आन्दोलन अवधि के वेतन न भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश निर्गत किया जाता है, तो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के अर्जित अवकाश की अवधि में उक्त दिवसों का समायोजन कर लिया जाय।

दोनों संघों के पदाधिकारियों की उक्त वचनबद्धता तथा इस तथ्य कि राज्य के अन्य सभी विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान कर दिया गया है, को ध्यान में रखते हुए कार्य परिषद ने हड़ताल अवधि का वेतन नियमित कर्मचारियों को उपरोक्त शर्त के अधीन निर्गमित करने की स्वीकृति दी।

उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन के लिए नियमित कर्मचारियों का 16 दिवस का अर्जित अवकाश सुरक्षित (Reserve) रखा जाय तथा हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये एवं शासन के निर्देशानुसार प्रकरण पर निर्णय लिया जाय।

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कार्यरत् कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि चूंकि इनके अर्जित अवकाश की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः हड़ताल अवधि के 16 दिन के एवज में उक्त कर्मचारियों से आगामी छुटियों में अतिरिक्त कार्य लिया जाय।

(अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से)

मद संख्या-1: उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-836/सत्तर-1-2014-15(15)/2007 दिनांक 20 अगस्त, 2014 के साथ संलग्न उत्तर प्रदेश राज्य (द्वितीय संशोधन) अधिनियम-2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन 2014) एवं तदविषयक विधायी अनुभाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-975/79-वि-1-14-(क)/19/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 से कार्यपरिषद को संसूचित किया जाना।

उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-836/सत्तर-1-2014-15(15)/2007 दिनांक 20 अगस्त, 2014 के साथ संलग्न उत्तर प्रदेश राज्य (द्वितीय संशोधन) अधिनियम-2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन 2014) एवं तदविषयक विधायी अनुभाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-975/79-वि-1-14-(क)/19/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 से परिषद संसूचित हुई।

मद संख्या-2: छात्र श्री आशीष कुमार पुत्र श्री कामता प्रसाद, वर्ष 2012-13 बी0एड0 परीक्षा, अनुक्रमांक-0408963 को बीमारी के कारण छूटी बी0एड0 प्रयोगात्मक परीक्षा को पुनः प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति पर विचार।

परिषद द्वारा छात्र श्री आशीष कुमार पुत्र श्री कामता प्रसाद, वर्ष 2012-13 बी0एड0  
परीक्षा, अनुक्रमांक-0408963 को विश्वविद्यालय के अध्यादेश के खण्ड (VII प्रस्तर-1A) में  
विहित प्राविधानों के अन्तर्गत पुनः प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय  
लिया गया।

अन्त में माननीय कुलपति जी को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

  
(सम्मिलित कुलपति)  
कुलसचिव

  
(प्रो॰ जेठी० वैशम्पायन)  
कुलपति